न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 457 सन 2019

अनवान :–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बलदेवसिह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
2. भूपसिह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
4. लिलावती पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
5. शारदा पत्नी बलदेवसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
6. राजबाला पत्नी भूपसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
7. इन्द्रजीत पुत्र बलदेवसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
8. अंकित पुत्र बलदेवसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
9. राहूल पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :–

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 79/83 के खसरा न0 201/1 की 1.9600हैक व खसरा न0 239 की 5.0210हैक कुल 6.9810हैक भूमि एवं रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 290/287 की कुल 2.8830हैक भूमि व खाता संख्या 291/288 की 0.506हैक व खाता संख्या 40/43 की कुल 13.8230हैक में से 558 हिस्सा व खाता संख्या 292/289 की कुल 5.7920हैक एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.4280हैक व खाता संख्या 54/57 की कुल 6.4250हैक व रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 84/120 की कुल 10.5840हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम सयुक्त खाते में अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वजों ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 हक हिस्सा के अनुसार परिवारिक समझौता किया जाकर काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से मुश्तरका खाते की भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है एव बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है एवं अपने अपने हक हिस्सा की भूमि को उपजाउ बना रखा है और काश्त करते आ रहे है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के परिवारिक बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि जो बाहमी बटवारा में प्राप्त हुई थी का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वाद भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वजों ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर दिया था उसी के अनुसार भूमि वादी एव प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के मध्य हुए परिवारिक समझौता बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 79/83 के खसरा न0 201/1 की 1.9600हैक व खसरा न0 239 की 5.0210हैक कुल 6.9810हैक भूमि एवं रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 290/287 की कुल 2.8830हैक भूमि व खाता संख्या 291/288 की 0.506हैक व खाता संख्या 40/43 की कुल 13.8230हैक में से 558 हिस्सा व खाता संख्या 292/289 की कुल 5.7920हैक एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.4280हैक व खाता संख्या 54/57 की कुल 6.4250हैक व रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 84/120 की कुल 10.5840हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम सयुक्त खाते में अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वजों ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 हक हिस्सा के अनुसार परिवारिक समझौता किया जाकर काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से मुश्तरका खाते की भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है एव बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है एवं अपने अपने हक हिस्सा की भूमि को उपजाउ बना रखा है और काश्त करते आ रहे है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के परिवारिक बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि जो बाहमी बटवारा में प्राप्त हुई थी का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 जो एक ही परिवार के सदस्य है एवं वाद भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मुश्तरका खातेदार काश्तकार आपसी सहमति से परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा किया जाकर बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी जगदीश के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 40/43 की कुल 13.8230हैक भूमि में सयुक्त तौर से 418–1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होगा ।प्रतिवादी संख्या 1 बलदेवसिह के पास रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 54/57 की 5.1860हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 79/83 की कुल 6.9810हैक अकेले के पास रहेगी ,प्रतिवादी संख्या 3 देवीलाल के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 40/43 की 13.8230हैक में से सयुक्त तौर से 139–1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.4280हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 290/287 के खसरा न0 197/2 की 1.3150हैक खसरा न0 198/2 की 1.5680हैक कुल 2.8830हैक भूमि अकेले के पास रहेगी। एवं रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 84/120 के खसरा न0 135 की 10.5840हैक में से सयुक्त तौर से 260 हिस्सा भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 5 शारदा के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 292/289 की कुल 5.7920हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा अकेली के पास रहेगी।प्रतिवादी संख्या 6 राजबाला के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 291/288 के खसरा न0 238/1 की 0.506हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 31/72 की कुल 6.4250हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 9 के पास रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.4280हैक में से 3/4 हिस्सा भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बलदेवसिह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
2. भूपसिह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
4. लिलावती पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
5. शारदा पत्नी बलदेवसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
6. राजबाला पत्नी भूपसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
7. इन्द्रजीत पुत्र बलदेवसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
8. अंकित पुत्र बलदेवसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
9. राहूल पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 457 सन 2019 निर्णय दिनांक– 22/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी जगदीश के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 40/43 की कुल 13.8230हैक भूमि में सयुक्त तौर से 418–1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होगा ।प्रतिवादी संख्या 1 बलदेवसिह के पास रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 54/57 की 5.1860हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 79/83 की कुल 6.9810हैक अकेले के पास रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 देवीलाल के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 40/43 की 13.8230हैक में से सयुक्त तौर से 139–1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.4280हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि रहेगी ।प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 290/287 के खसरा न0 197/2 की 1.3150हैक खसरा न0 198/2 की 1.5680हैक कुल 2.8830हैक भूमि अकेले के पास रहेगी। एवं रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 84/120 के खसरा न0 135 की 10.5840हैक में से सयुक्त तौर से 260 हिस्सा भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 5 शारदा के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 292/289 की कुल 5.7920हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा अकेली के पास रहेगी ।प्रतिवादी संख्या 6 राजबाला के पास रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 291/288 के खसरा न0 238/1 की 0.506हैक भूमि रहेगी ।प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 31/72 की कुल 6.4250हैक भूमि रहेगी ।प्रतिवादी संख्या 9 के पास रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 83/82 की कुल 4.4280हैक में से 3/4 हिस्सा भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।